

फार्म "क"

राज्य सरकारों तथा अन्य प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तावों की
धारा-2 के अन्तर्गत पूर्व अनुमति लेने का फार्म

भाग-1

(प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भरे जाने के लिए)

क.स.	विवरण	क्रियान्वयन
1.	परियोजना विवरण :- क) अपेक्षित वन भूमि के लिए प्रस्ताव/परियोजना/स्कीम का संक्षिप्त विवरण।	जनपद के <u>NCT of Delhi</u> विकास खण्ड <u>Jonpur</u> में RoW permission for laying Optical Fiber Cable Aerial (Approx 35 Poles per KM) from <u>Yamuna Bridge To</u> <u>Kemetry</u> (Total Length- <u>16.2</u> KM) तक मोटर मार्ग के किनारे ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने हेतु अपेक्षित भूमि <u>0.486</u> है वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत गैर वानिकी कार्य हेतु।
	ख) 1:50,000 स्केल मैप पर वन भूमि और उसके आस-पास के वनों की सीमाओं को दर्शाने वाला मैप।	संलग्न है।
	ग) परियोजना की लागत।	रु० <u>97.2</u> लाख
	घ) वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य।	दूरसंचार सेवा प्रदान करना।
	ड.) लागत लाभ विश्लेषण (संलग्न किये जाने के लिए)	लागू नहीं।
	च) रोजगार जिनके पैदा होने की संभावना है।	प्रस्तावित परियोजना के निर्माण के दौरान स्थानीय कुशल /अकुशल श्रमिकों को रोजगार मिलेगा।
2.	कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार विवरण:-	 है वन भूमि
3.	परियोजना के कारण लोगों को हटाने का विवरण, यदि कोई है।	नहीं
	क)परिवारों की संख्या	शून्य
	ख)अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों की संख्या	शून्य
	ग)पुनर्वास योजना (संलग्न किये जाने के लिए)	शून्य
4.	क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत मंजूरी आवश्यक है? (हां/नहीं)	हाँ
5.	प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण और या दण्ड स्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण की वचनबद्धता (वचनबद्धता संलग्न की जाये)	भारत सरकार /उत्तराखण्ड शासन द्वारा प्रतिपूरक वृक्षारोपण हेतु लगायी जाने वाली समस्त शर्तों का पालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा।
6.	निर्देशों के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाण पत्रों /दस्तावेजों का व्यौरा।	संलग्न है।

दिनांक 21/06/2018
स्थान Dehradun

प्रयोक्ता एजेन्सी के हस्ताक्षर
नाम ()

मोहर
प्रस्ताव की कम संख्या.....
साथ नोडल अधिकारी द्वारा भरा जाएगा)

(प्राप्ति की तारीख के

भाग – II

(संबन्धी उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है।)

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या

7-	परियोजना स्कीम का स्थान	जनपद-टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड जौनपुर अन्तर्गत RoW permission for laying Optical Fiber Cable Aerial(Approx 30 Poles per KM) Request for Joint Survey for laying of " Throgh Installation by Poles Yamuna Bridge to Kempty Diversion to Kempty. (Total length- 16.00 K.M) तक मोटर मार्ग के किनारे ऑटिकल्स फाईबर केबिल बिछाने हेतु।
(i)	राज्य /संघ शासित क्षेत्र	उत्तराखण्ड राज्य
(ii)	जिला	टिहरी गढ़वाल
(iii)	वन प्रभाग	मसूरी वन प्रभाग।
(iv)	वनेतर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (हैक्टे0में)	0.486 हैक्टर
(v)	वन की कानूनी स्थिति	0.204 हैक्टर, आरक्षित वन भूमि, खैरागाड़ ब्लॉक 0.282 हैक्टर, (प्रस्तावित कार्यस्थल/मोटर मार्ग से लगे ग्रामों की सिविल सोयम भूमि) 0.486 हैक्टर
(vi)	हरियाली का घनत्व	0.1
(vii)	प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाये)। सिंचाई/जलीय परियोजनानाओं के सम्बन्ध में एफ.आर.एल., एफ.आर.एल.-2 मीटर पर परिगणना और एफ.आर.एल.-4 मीटर भी संलग्न किये जाए)	प्रस्तावित कार्य के समरेखण/स्थल पर कोई वृक्ष बाधित /प्रभावित होना निहित नहीं है।
(viii)	भूक्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी	नहीं। इस बावत प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रस्तावित परियोजना के निर्माण हेतु भू-वैज्ञानिक की आवश्यकता नहीं है तत्सम्बन्धी प्रमाण-पत्र प्रस्ताव के संलग्नक-23 पर चस्पा किया गया है।
(ix)	वनेतर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी	प्रस्तावित /चयनित स्थल आरक्षित वन खैरागाड़ ब्लॉक तथा प्रस्तावित कार्यस्थल/मोटर मार्ग से लगे ग्रामों की सिविल सोयम भूमि की सीमा अन्तर्गत स्थित है।
(x)	क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, जैवमण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कोरीडोर, आदि का भाग है।(यदि हां, क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणियां अनुबंधित की जाए)	नहीं। इस बावत प्रस्तावक विभाग एवं वन विभाग द्वारा प्रस्ताव के संलग्नक-13 पर तत्संबन्धी प्रमाण-पत्र चस्पा है।
(xi)	क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ/संकटापन्न/ विशिष्ट प्रजातियां पायी जाती है।यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा दें।	नहीं।
(xii)	क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठापन और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है। यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाणपत्र के साथ, यदि अपेक्षित हो, दें।	नहीं। इस बावत प्रस्तावक एवं राजस्व विभाग द्वारा प्रस्ताव के संलग्नक -29 पर तत्संबन्धी प्रमाण पत्र चस्पा है।
8.	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भाग-1 कालम 2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नहीं, तो जांचे गये विकल्पों के ब्यौरों के साथ मद-वार संस्तुत क्षेत्र क्या है।	इस बावत प्रस्तावक, राजस्व एवं वन विभाग द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र प्रस्ताव के संलग्नक -28 पर चस्पा है।
9.	क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है (हां/नहीं) यदि हां, तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गई कार्रवाई सहित कार्य का ब्यौरा दें क्या उल्लंघन संबंधी कार्य अभी भी चल रहे हैं।	नहीं

10.	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा	प्रस्तावित कार्य के निर्माण हेतु अपेक्षित वन भूमि की मांग 1.00 है० से कम है। अतः प्रस्तावित स्थल के आस-पास रिक्त स्थानों पर उचित वृक्षारोपण का प्राक्कलन प्रस्ताव के पृष्ठ सं०-17ए संलग्न है।
(i)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेतर क्षेत्र/अवक्रमित वन क्षेत्र, आस पास के वन से इसकी दूरी, भू-खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू-खण्ड का आकार।	चूंकि प्रस्तावित कार्य के निर्माण हेतु अपेक्षित वन भूमि की मांग 1.00 है० से कम है। अतः प्रस्तावित स्थल के आस-पास रिक्त स्थानों पर उचित वृक्षारोपण का प्राविधान किया गया है।
(ii)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेतर/अवक्रमित वन क्षेत्र, और आस-पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप।	उक्तानुसार
(iii)	रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यान्वयन एजेंसी, समय अनुसूची लागत ढांचा आदि।	प्रजातियां:- जलवायु के अनुरूप मिश्रित प्रजातियां। कार्यान्वयन एजेंसी:- स्वयं वन विभाग। समय:- उच्च स्तर से स्वीकृति प्राप्त होने पर। लागत:- प्रस्तावित कार्य के निर्माण हेतु अपेक्षित 0.486 है० वन भूमि के बदले प्रस्तावित स्थल के आस-पास रिक्त स्थानों पर उचित वृक्षारोपण तथा उसके 10 वर्षों तक रखरखाव का प्राक्कलन हेतु रु० 5,34,600.00(रु० पाँच लाख चौतीस हजार छः सौ मात्र) का प्राक्कलन संलग्न है।
(iv)	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय।	प्रस्तावित कार्य के निर्माण हेतु अपेक्षित 0.486 है० वन भूमि के बदले प्रस्तावित स्थल के आस-पास रिक्त स्थानों पर उचित वृक्षारोपण तथा उसके 10 वर्षों तक रखरखाव का प्राक्कलन हेतु रु० 5,34,600.00(रु० पाँच लाख चौतीस हजार छः सौ मात्र)
(v)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्र (सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए)	-----
11.	उप वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपर्युक्त कालम 7 (xi, xii), 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें)	फील्ड स्तर के अधीनस्थ वन अधिकारियों, फील्ड स्टाफ, राजस्व एवं प्रस्तावक विभाग द्वारा दिनांक 30-4-2018 को सम्पन्न की गयी संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट प्रतिहस्ताक्षरित करके प्रपत्र-10ए पर चस्पा है।
12.	विभाग/जिला प्रोफाइल	जिला- टिहरी गढ़वाल
(i)	जिले का भौगोलिक क्षेत्र	4421.00 वर्ग कि०मी०
(ii)	जिले का वन क्षेत्र	4058.90 वर्ग कि०मी०
(iii)	मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेतर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र	कुल मामलों की संख्या 94 है। वनेतर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र 979.9032 है० है। इसमें आरक्षित वन क्षेत्र 516.5694 है० है।
(iv)	1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण (क) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि :- (ख) वनेतर भूमि पर:-	(क) 227.0912 हेक्टेयर / 622.9106 है० (ख) रिक्त
(v)	अब तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति (क) वन भूमि पर (ख) वनेत्तर भूमि पर	(क) 1-218.90 है० / 504.88 है० जिला /प्रभाग के अंतर्गत क्षतिपूरक वृक्षारोपण किया जा चुका है। (ख) रिक्त
13.	प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के संबंध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश	प्रस्तावित कार्य के निर्माण हेतु प्रश्नगत क्षेत्र की तकनीकी एवं स्थानीय विधि एवं नियमों के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तावक विभाग के स्तर पर करवाना होगा। अतः संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट एवं प्रस्ताव में विभिन्न स्तरों से प्राप्त प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों के अनुसार प्रभाग स्तर से संस्तुति की जाती है।

दिनांक: 22-06-2018।
स्थान:- मसूरी,

हस्ताक्षर
नाम:- (कहकशा नसीम)
प्रभागीय वन अधिकारी
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी

(सम्बन्धित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

- 14— स्थल, जहां की वन भूमि शामिल की गयी है
क्या इसका सम्बन्धित वन संरक्षक ने निरीक्षण
किया है ? (हाँ/नहीं) यदि हाँ तो निरीक्षण की
तारीख और किए गये प्रेक्षणों को, निरीक्षण नोट
के रूप में संलग्न करें।
- 15— क्या सम्बन्धित वन संरक्षक भाग—ख में दी गयी
सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से
सहमत है।
- 16— प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में
सम्बन्धित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों
के साथ विशेष सिफारिशें।

तिथि.....
स्थान.....

हस्ताक्षर:

नाम और पदनाम
सरकारी मोहर

भाग-IV

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष,
वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)

- 17- टिप्पणी के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने
या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की
विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें।
(राय देते समय, सम्बन्धित वन संरक्षक
अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल
टिप्पणी की सुस्पष्ट समीक्षा की जाय
और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाय)

तिथि :
स्थान :

हस्ताक्षर:

नाम और पदनाम
सरकारी मोहर

भाग-V

(वन विभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य प्राधिकृत अधिकारी जो अपर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो, द्वारा भरा जाना है)

- 17- राज्य सरकार की सिफारिश:
(उपर्युक्त भाग- II या भाग- III या
भाग-IV में किसी अधिकारी या प्राधिकारी
द्वारा की गयी प्रतिकूल टिप्पणियों पर
विशिष्ट टिप्पणी की जाए)

तिथि :

स्थान :

हस्ताक्षर:

नाम और पदनाम
सरकारी मोहर